P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-IV*December-2014
E: ISSN NO.: 2349 – 980X

भारत में संसदीय मध्यावधि निर्वाचन परिस्थितियाँ एवं प्रभाव

मंजु तोमर
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति शास्त्र विभाग,
अम्बाह पी.जी. कालेज अम्बाह,
मुरैना (म0प्र0)

सारांश

लोकतंत्र की राजनीति में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत को विश्व का सबसे विशाल लोकतन्त्र का दर्जा प्राप्त है। यहां प्रत्येक 18 वर्ष का स्त्री पुरुष अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण कभी–कभी यह दल स्थाई सरकार के लिये समस्या बन जाते है जिसकी परिणिति मध्यावधि निर्वाचन के रूप में होती है।

मुख्य शब्द : मध्यावधि निर्वाचन, लोकतंत्र, मताधिकार, सरकार, दल

प्रस्तावना

लोकतंत्र की राजनीति में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्यों कि, वहीं 'तंत्र' का 'मंत्र', विधि का विधान, शक्ति का स्रोत और जनगण के मानस का दर्पण है। निर्वाचन प्रजातंत्र के कर्मकाण्ड का प्रमुख संस्कार है, मंत्रोच्चार के साथ लोक सत्ता की अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है। उस अग्नि को साक्षी देकर, राजनीतिक दलों को यजमान बनाकर, नागरिक अपने मत की समिधा से प्रजातंत्र का यज्ञ सम्पन्न करते हैं। प्रजातंत्र का यह राजसूर्य यज्ञ लोकसत्ता की त्रिगुणात्मकता का परिचय देता है। इसमें बृह्मा की सृजनशक्ति, शिव की विनाश शक्ति एवं विष्णु की परिपालन शक्ति का समावेश दिखाई देता है।

प्रत्येक निर्वाचन प्रजातंत्र की लोक यात्रा में मील के पत्थर की तरह होता है। एक पड़ाव की तरह प्रत्येक निर्वाचन यात्रा का एक सोपान है, जिसमें श्रम है, विश्रान्ति भी है और नए श्रीगणेश की अधीर आतुरता भी है।

विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य होने का गौरव हम भारतीयों को ही प्राप्त है। हमारे देश में सरकार चुनने का अधिकारी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक भारतीय को है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करना है। भारत जैसे विशाल देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कभी–कभी स्थायी सरकार के लिए एक समस्या भी बन जाती है क्योंकि दल अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय आदि की भावना को जनमानस में फैलाते हैं। जिसकी परणति कभी–कभी मध्यावधि निर्वाचन के रुप में होती है।

उद्देश्य

भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में निर्वाचन ही सत्ता का मुख्य आधार है। जनता निर्वाचन में अपने बहुमूल्य मताधिकार का उपयोग करके सरकार का निर्माण करती है। जनता निर्वाचन के माध्यम से यह भी निश्चित करती है कि शासन सत्ता किसे सौंपी जाए। निर्वाचन एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव संपूर्ण देश पर पड़ता है।

स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी निर्वाचन हुए हैं, उनमें 1971, 1980, 1991 और वर्ष 1998–99 के निर्वाचन 'मध्यावधि' निर्वाचन के कारणों व परिस्थितियों का आंकलन करना व उनके प्रभावों की विवेचना करना है।

संसदीय मध्यावधि निर्वाचनों की पृष्ठभूमि

राजनीति में चुनाव एक महत्वपूर्ण घटना है। सामान्य प्रक्रिया से हटकर जब चुनाव अपनी अवधि से पूर्ण होते है तो, इन्हें मध्यावधि निर्वाचनों की संज्ञा दी जाती है। भारत में मध्यावधि निर्वाचन 1971 , 1980 , 1991 तथा वर्ष 1999 में कराए गए। उपर्युक्त वर्षों में हुए मध्यवधि निर्वाचनों के कारण एवं परिस्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

मध्यावधि निर्वाचन वर्ष 1971

पूर्व निर्वाचनों की भाँति चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता नहीं मिली, उसे लोकसभा में 523 स्थानों में से केवल 283 में से केवल 283 स्थान ही प्राप्त हुए। जिसका प्रमुख कारण 1962 का चीनी आक्रमण और जनवरी 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक निधन को माना जाता है।

जिसके परिणाम स्वरुप राजनीतिक धरातल में कुछ उथल–पुथल पैदा हुई और राजनीति पर कॉंग्रेस का एक छत्र राज्य समाप्त हो गया।

वर्ष 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का कार्यकाल मार्च 1972 तक निर्धारित था, परन्तु प्रधानमंत्री श्रमती इंदिरा गाँधी ने परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति बी.वी. गिरि को यह सुझाव दिया, कि समय से पूर्व ही लोकसभा को विघटित कर दिया जाए क्यों कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को अन्य क्षेत्रीय दलों की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ रहा था, जो उनकी सरकार को समर्थन दे रहे थे। कुछ दक्षिण पंथी भी सरकार को अल्पमत में होने का आरोप लगा रहे थे। सरकार की स्थिति डाँबाडोल हो रही थी। अतः जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए सरकार को मध्यावधि निर्वाचन कराने चाहिए।

इसके अतिरिक्त 1971 में मध्यावधि निर्वाचन कराने के कुछ अन्य कारण जैसे – बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवीपर्स संबंधी विधयेक पर सरकार की पराजय आदि भी थे। अतः सरकार स्वयं ही मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर हो गई।

परिणाम

1971 के चुनाव में राष्ट्रीय दलों के 1222 उम्मीदवारों ने भाग लिया । जिसमें 447 उम्मीदवार विजयी हुए। श्रीमती इंदिरा गाँधी की नेतृत्व वाली कॉंग्रेस को महान सफलता प्राप्त हुई। उनकी इस विजय में उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों का योगदान रहा।

मध्यावधि निर्वाचन 1980

1980 के मध्यावधि निर्वाचन के लिए दोहरी सदस्यता के प्रश्न ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस पार्टी का एक घटक अपने को जनसंघ से अलग नहीं रखना चाहता था जबकि, दूसरा घटक मुख्यतः भारतीय लोक दल को यह आपत्ति थी कि, एक व्यक्ति एक राजनैतिक संगठन का सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त पार्टी को तोड़ने में 'दल–बदल' भी मुख्य रूप से जिम्मेदार रहा है।

मध्यावधि चुनाव 1980 के लिए मुख्य रुप से जो तथा उत्तरदायी था, वह था हर व्यक्ति की अपनी–अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ। हर नेता अपनी ताजपोशी के लिए उद्यत था। जिसके परिणाम स्वरुप देश पर एक बार फिर से मध्यावधि निर्वाचन का बोझ आन पड़ा।

परिणाम

1980 के मध्यावधि चुनाव में 527 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ। कुल 4620 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इसमें कॉंग्रेस को 66.79 सीटे प्राप्त हुई। कॉंग्रेस (आई) ने इस चुनाव में बड़ी सफलता अर्जित की।

मध्यावधि निर्वाचन 1991

1991 के मध्यावधि निर्वाचन की पृष्ठभूमि में अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं। 28 दिसम्बर 1989 को जनता दल की योजना के अनुसार सरकार का नेता चुना जाना था अतः अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें देवीलाल को नेता निर्वाचित किया गया।

लेकिन देवीलाल जी ने नेता पद के लिए वी.पी. सिंह का नाम प्रस्तावित किया और प्रधानमंत्री पद पर वी.पी. सिंह सिंह को घोषित किया गया जिससे चन्द्रशेखर को काफी आघात पहुँचा।

दूसरा कारण 'मध्य' विधान सभा का उपचुनाव रहा। जिसमें व्यापक हिंसा तथा मतदान में धाँधली, तथा उम्मीदवार की हत्या का आरोप ओमप्रकाश चौटाला पर लगा जो देवीलाल को अच्छा नहीं लगा।

उनके इस्तीफे की माँग की गई और इस्तीफे के साथ ही जनता दल का पतन शुरु हो गया।

एक अन्य सबसे बड़ा कारण सरकार गिरने का ''मण्डल आयेाग'' रहा। 7 नंवबर को विश्वास प्रस्ताव में सरकार 151 के विरुद्ध 356 मतों से गिर गई। इसके बाद चन्द्रशेखर ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, लेकिन वह भी सरकार चलाने में असमर्थ रहे और इस प्रकार मध्यावधि निर्वाचन के लिए देश की जनता बाध्य हो गई।

1999 का मध्यावधि निर्वाचन

1998 में बारहवीं लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुए इन चुनावों ने त्रिशंकु लोकसभा और विखण्डित जनादेश को जन्म दिया फलस्वरुप मिली–जुली सरकार का गठन वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ।

परन्तु घटक दलों के बीच मतभेद की स्थिति के चलते सरकार अल्पमत में आ गई और विश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में सरकार को विश्वासमत हासिल न हो सका और सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा अतः राष्ट्रपति के द्वारा 26 अप्रैल 1999 को लोकसभा भंग कर दी गई।

1999 के मध्यावधि निर्वाचन के पीछे कई कारण रहे जैसे– कॉंग्रेस की सत्ता में आने के लिए बेचैनी, बढ़ती हुई मँहगाई, मीडिया द्वारासरकार को अस्थिर करने का प्रयास तथा कारगिल युद्ध तथा लाहौर बस यात्रा।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मध्यावधि निर्वाचन एक ओर जनता के लिए समस्या बनते है व दूसरी ओर अवांछित व्यय भार भी बढ़ाते है। वहीं जनता के लिए सकारात्मक रूप से स्थाई एवं मजबूत सरकार प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण रहे है।

संदर्भ

1. भारतीय संविधान
2. कश्यप सुभाष द टेन लोकसभा (1952–1991) शिप्रा पब्लिकेशन नई–दिल्ली, पृष्ठ 86
3. कश्यप सुभाष भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल समस्याऐं एवं संभावनाएं सुशील चन्द्र सिंह – 1971 के लोक सभा चुनाव पृष्ठ 173
4. भारत में पॉचवें साधारण निर्वाचन की रिपोर्ट (1971) खण्ड 11, सांख्यिकी –' भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली 1974
5. भारत में सातवें साधारण निर्वाचन की रिपोर्ट (1980) खण्ड 11 सांख्यिकी –' भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली 1974
6. नवभारत टाइम्स, 2 दिसम्बर 1989 पृष्ठ 8
7. इण्डिया टूडे 15 दिसम्बर 1989 पृष्ठ 16
8. डॉ. लक्ष्मीकांत सिघवी
9. तोमर पंचम सिंह – भारत में संसदीय मध्यावधि निर्वाचन कॉलेज बुक डिपो, जयपुर